संख्या 1646/44-2-27/94

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 1994

विषयः— सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा शासन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा नियत उद्देश्य तथा कार्य लक्ष्यों की पूर्ति के संदर्भ में शासन द्वारा कतिपय निगमों/उपक्रमों एवं शासन के मध्य उद्देश्यों, संसाधनों, कार्य लक्ष्यों एवं रणनीति के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में अलग—अलग निर्धारित अवधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त योजना कतिपय कारणों से कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इस बीच शासन द्वारा दिनांक 1 जून, 1994 के कार्यालय ज्ञाप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उद्देश्यों में कार्य दक्षता सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं उनके पुनर्गठन, निजीकरण आदि के सम्बन्ध में कुछ नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। उक्त निर्णयों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संदर्भ में उठाये जाने वाले कदमों में समझोता ज्ञापन प्रणाली को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भ में यह प्रणाली ऐसे निगमों/उपक्रमों में लागू की जायेगी, जिनकी कुल जमा पूंजी रु० 10 करोड़ अथवा अधिक है। वित्तीय वर्ष 1992-93 के अन्त की स्थिति के अनुसार ऐसे निगमों/उपक्रमों की सूची संलग्न है।

2- इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) के प्रारूप का निर्धारण किया जायेगा। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग कृपया अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों से समझौता ज्ञापन का आलेख्य सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार समय सीमा के अन्दर प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समझोता ज्ञापन के आलेख्य पर अनुमोदन देने के उपरान्त प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा सम्बन्धित निगम/उपक्रम के मुख्य कार्यकारी द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। हस्ताक्षरोपरान्त इसे लागू करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का होगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर उच्च स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जायेगी और यदि इसके क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आती है तो उसका समाधान किया जा सकेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी सूचना/सामग्री भेजने की अपेक्षा की जाय उसे समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

संलग्नक: सूची।

भवदीय,
[बृजेन्द्र सहाय]
मुख्य सचिव।

संख्या 1646 (1)/44-2/94. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
(2) सचिव, नियोजन विभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निगमों/उपक्रमों के प्रशासनिक अनुभाग।
(5) सम्बन्धित निगमों/उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी।

आज्ञा से,
[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।

-सूची-

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की तालिका, जिनका कुल विनियोजन रुपये 10 करोड़ से अधिक है (31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार)।

1- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्
2- उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम
3- पिकप
4- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम
5- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
6- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
7- गढ़वाल मण्डल विकास निगम
8- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
9- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन
10- लघु जल विद्युत निगम
11- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम
12- उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम
13- उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम
14- उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
15- यू०पी० एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन
16- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
17- उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम
18- उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम
19- उत्तर प्रदेश जल निगम
20- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
21- उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम
22- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम